

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F)/एलएचवी/एस-274/2019/ दिनांक:-

आदेश

प्रारूप-06

सुश्री सविता देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी खण्ड (रानी) पाली, को निदेशालय के आदेश क्रमांक 174 दिनांक 03.06.15 के द्वारा राज्य सेवा से दिनांक 25.02.2015 से पृथक किया गया है,

यह प्रमाणित किया जाता है उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र पेन्शन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया है:-

कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 8/08/1

क्रमांक:-नर्सिंग / नर्स-2(F)/एलएचवी/एस-274/2019/1062
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी (रानी) पाली।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर